

उत्तरांचल शासन

वित्त विभाग

सं० ७५५/ XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक: देहरादून: २०/सितम्बर/2006

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:


अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्टि संख्या 49 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्रमांक 49 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी—

क्र०सं० 49. पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा तंत्र एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उत्पादित अथवा उपयोग करने वाले उपस्कर जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, तथा उनके पुर्ज ;—

- (1) चपटी प्लेट और संग्राहक (फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर्स)
- (2) सांद्रण और पाइप के प्रकार के सौर संग्राहक (कन्सन्ट्रेटिंग एण्ड पाइप टाइप सोलर कलेक्टर्स)
- (3) सौर चूल्हे (सोलर कुकर्स)
- (4) सौर जल तापक और तंत्र (सोलर वाटर हीटर्स एण्ड सिस्टम्स)
- (5) सौर वायु तापन तंत्र (सोलरएयर हीटिंग सिस्टम)
- (6) सोलर लो— प्रेशर स्टीम सिस्टम
- (7) फसल सुखाने वाला सौर अन्य तंत्र (सोलर क्राप ड्रायर्स एण्ड सिस्टम)
- (8) सौर आसोत्त और विलवीकरण तंत्र (सोलर स्टिल्स एण्ड डीसैलाइनेशन सिस्टम)
- (9) सौर—तापीय और सौर प्रकाश वोल्टीय संपरिवर्तन (सोलर पम्प्स बेर्स्ड आन सोलर थर्मल एण्ड सोलर फोटोवालटैक कन्वर्शन) पर आधारित सौर पम्प
- (10) सौर ऊर्जा उत्पादन यंत्र (सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम्स)
- (11) पानी को पम्प करने और अन्य उपयोग के लिये सौर प्रकाश वोल्टीय मोड्यूल और पेनल (सोलर फोटोवालटैक मोड्यूल्स एण्ड पैनल्स फार वाटर पम्पिंग एण्ड अदर एप्लीकेशन्स)
- (12) पवन चक्रिकर्यों और किसी विशिष्ट युक्ति से अभिकल्पित पवन चक्रिकर्यों (विन्ड मिल्स एण्ड एनी स्पेशली डिजाइन्ड डिवाइसेज आन विंड मिल्स)
- (13) विशिष्ट प्रकार की कोई युक्ति जिसमें पवन ऊर्जा से चालित विद्युत जनित्र और पम्प सम्मिलित है (एनी स्पेशल डिवाइसेज इनक्लूडिंग इलैक्ट्रिक जनरेटर्स एण्ड पम्प्स रनिंग आन विंड इनर्जी)
- (14) वायो गैस संयंत्र और बायो गैस इंजन (वायो गैस प्लांट्स एण्ड बायो गैस इंजन)

- (15) कृषि और नगर के कूड़ा करकट से ऊर्जा उत्पादन करने की युक्तियाँ (एग्रीकल्चरल एण्ड म्युनिसिपल वेस्ट कन्वर्जन डिवाइसेज प्रोड्यूसिंग इनर्जी)
- (16) सागर की तरंगों की ऊर्जा और तापीय ऊर्जा को उपयोग में लाने वाले उपकरण (इविपमेंट फार युटिलाइजिंग ओसन वेब एण्ड थर्मल इनर्जी)
- (17) सागर की तापीय ऊर्जा परिवर्तन तंत्र (ओसन थर्मल इनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स)
- (18) पर्यूल इफिशियेन्ट बुड बर्निंग स्टोब्ज / इम्प्रूब्ड चुल्हाज
- (19) बैटरी चालित मोटर वाहन

आज्ञा से,

 (राधा रत्ननी)
 सचिव वित्त।

सं 0 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006 तददिनांक
 प्रतिलिपि प्रेषित—

- 1—कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250—250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

 सचिव वित्त,

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated ,2006 for general information.

UTTARANCHAL SHASAN

VITTA VIBHAG

NO. 745/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006

DATED: DEHRADUN : 20/9/2006

NOTIFICATION

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of The Uttar Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in entry 49 of Schedule-I of the Act-

The following entry shall be substituted for the present entry at serial no 49-

Sl.No.49- Renewable energy devices and equipments generating or utilizing renewable sources of energy including those detailed below, and their spare parts:-

- (1) Flat plate solar collectors.
- (2) Concentrating and pipe type solar collectors.
- (3) Solar cookers.
- (4) Solar water heaters and systems.
- (5) Solar air heating systems.
- (6) Solar low pressure steam systems.
- (7) Solar crop driers and systems.
- (8) Solar stills and desalination systems.
- (9) Solar pumps based on solar thermal and solar photovoltaic conversion.
- (10) Solar power generating systems.
- (11) Solar photovoltaic modules and panels for water pumping and other applications.
- (12) Wind mills and any specially designed devices on wind mills.
- (13) Any special devices including electric generators and pumps running on wind energy.
- (14) Biogas plants and biogas engines.
- (15) Agricultural and municipal waste conversion devices producing energy.
- (16) Equipments for utilising ocean waves and thermal energy.
- (17) Ocean thermal energy conversion system.
- (18) Fuel efficient wood burning stoves/improved choolhas.
- (19) Battery operated motor vehicles.

By Order,



(RADHA RATURI)

SECRETARY FINANCE